

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक 12-05-2019 दिन रविवार जनपद लखनऊ।

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 03 एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11/12-05-2019 की रात्रि में विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में थाना बाजारखाला 02, तालकटोरा 01 एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना मड़ियॉव 01, गाजीपुर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 03 एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

तालकटोरा:-दिनांक 11-05-2019 को एस0आई0 श्री चन्द्रभान वर्मा थाना तालकटोरा लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभि0 1-सचिन जायसवाल पुत्र कौशल जायसवाल निवासी कृष्णलोक कालोनी फैजुल्लागंज थाना मड़ियॉव लखनऊ 2-सतीश पुत्र हरिप्रसाद निवासी मकान नं0 98 गिरजाबाग थाना कोतवाली जनपद उन्नाव को ई0 ब्लाक सब्जीमण्डी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से क्रमश:-20 अद्द क्वार्टर व 18 अद्द क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त गिरफ्तार।

बाजारखाला:-दिनांक 11-05-2019 को एस0आई0 श्री संजीव कुमार चौधरी थाना बाजारखाला लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभि0 1-मो0 रऊफ पुत्र कल्लू निवासी ईरम स्कूल के सामने शेखपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर रोली आइस्क्रीम फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मु0अ0सं0 99/2019 धारा 380/411 भादवि थाना बाजारखाला लखनऊ से सम्बन्धित चोरी की एक अद्द जोड़ी सफेद धातु की पायल व 800/-रुपया नकद बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बाजारखाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त गिरफ्तार

आशियाना:-दिनांक 12-05-2019 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि दिनांक 12-05-2019 को वादिनी निवासी पी0जी0आई0 थाना पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा थाना आशियाना पर धारा 354 भा0द0वि0 का अभियोग बनाम 1-अमर सिंह के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री शैलेन्द्र कुमार थाना आशियाना जनपद लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 12-05-2019 एस0आई0 श्री शैलेन्द्र कुमार थाना आशियाना जनपद लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के उपरोक्त मुकदमे के नामजद अभियुक्त 1-अमर सिंह पुत्र गेंदे लाल निवासी 5/14 रजनीखण्ड थाना आशियाना जनपद लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर स्मृति उपवन के पास चौराहे से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना आशियाना पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त गिरफ्तार।

गुडम्बा:-दिनांक 12-05-2019 को थाना गुडम्बा द्वारा बताया गया कि दिनांक 10-05-2019 को वादी मूलनिवासी:-महमूदाबाद जनपद सीतापुर, हालपता:-किराये का मकान गुडम्बा थाना गुडम्बा लखनऊ द्वारा थाना गुडम्बा पर अपनी 17 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 363/366/376 भादवि व धारा 03/04 पोस्को एक्ट का अभियोग बनाम 1-संजय चौहान के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री शैलेश वर्मा थाना गुडम्बा लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 11-05-2019 को एस0आई0 श्री शैलेश वर्मा थाना गुडम्बा लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1-संजय चौहान पुत्र बाबू लाल चौहान निवासी किराये का मकान गुडम्बा थाना गुडम्बा लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र गुडम्बा से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गुडम्बा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

विभूतिखण्डः—दिनांक 12-05-2019 को थाना विभूतिखण्ड द्वारा बताया गया कि वादी श्री ललित पुत्र स्व0 महेश मूलनिवासी—अकबरपुर कोल थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हालपता:—सेक्टर-14 खडगपुर गांव इन्दिरानगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना विभूतिखण्ड पर सूचना दिया कि वादी का भाई जो वादी से बड़ा है। कल दिनांक 11-05-2019 को कैटरिंग का काम करने मल्हौर गया हुआ था, कि रात्रि करीब 01.00 बजे काम से वापस खुशीराम जो रिश्ते में वादी के मौसा थे, के साथ मोटर साइकिल नं0 यूपी 32 एचआर-6904 से घर आ रहे थे। वादी का भाई विनोद जिसकी उम्र 35 वर्ष है, मोटर साइकिल चला रहा था तथा वादी के मौसा खुशीराम पीछे बैठे थे, कि अचानक सुषमा हास्पिटल फैजाबाद रोड़ पर पीछे से आ रही एक अल्टो कार जो काफी रफ्तार में थी, के चालक अज्ञात ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के भाई की मोटर साइकिल में टक्कर मार दिया, जिससे वादी का भाई व वादी के मौसा गम्भीर रूप से घायल हो गये व वादी के मौसा खुशीराम उम्र करीब 45 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा वादी के भाई विनोद को उपचार हेतु राम मनोहर लोहिया ले जाया गया, जहां से डाक्टरों द्वारा वादी के भाई को ट्रांमा सेन्टर रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचते ही वादी के भाई विनोद की भी मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 298/2019 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री दशरथ मौर्या मो0नं0 9415595575 द्वारा की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक विभूतिखण्ड द्वारा बताया गया कि अल्टो कार चालक कार सहित मौके से भाग गया।